

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग**  
**मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर**

क्रमांक : एफ 8-4/2020/18

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12/09/2022

प्रति,

1. समस्त आयुक्त,  
नगर पालिक निगम, छत्तीसगढ़
2. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,  
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत  
छत्तीसगढ़

**विषय :-** प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत स्लम/गैर-स्लम में किराये के आवासगृह में निवासरत पात्र हितग्राहियों को आवास आबंटन के संबंध में।

**संदर्भ :-** विभागीय पत्र क्र. एफ 8-4/2020/18 दिनांक 11.02.2022


---000---

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत सबको 02 कमरों का पक्का मकान उपलब्ध कराये जाने हेतु शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार "मोर मकान-मोर आस" के दिशा-निर्देश की कंडिका क्र. 02 में वर्णित पात्रता शर्तों में निम्नानुसार कण्डिका जोड़ा जाता है :-

**"2.5 हितग्राहियों को आवास आबंटन हेतु कंडिका क्र. 2.1 से 2.4 में उल्लेखित पात्रता की शर्तों का पालन प्राथमिकता के आधार पर किया जावेगा। यदि इन शर्तों के पालन उपरान्त निकायों द्वारा 'मोर मकान-मोर आस' हेतु निकाले गए विज्ञापन के विरुद्ध प्राप्त आवेदनों में पात्र हितग्राहियों की संख्या विज्ञापित आवासों से कम पायी जाती है, तो शेष आवासों का आबंटन भारत सरकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के पत्र क्र. N-11011/111/2019-HFA-IV-UD (FTS-9081341) दिनांक 21.01.2021 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास मिशन (शहरी) हेतु जारी दिशा-निर्देश के अनुसार पात्र हितग्राहियों को किया जावेगा।"**

उपरोक्त दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

  
(राकेश साहू)  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग


पृ. क्रमांक : एफ 8-4/2020/18

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12/09/2022

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
3. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर।
5. समस्त संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास छ.ग.।
6. प्रोग्रामर, डाटा सेन्टर, संचालनालय, न.प्र.वि. को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7. रिकार्ड फाईल।

  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग